




तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">उज्जयनी नगर महोदय जी.</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज</p> <p style="text-align: center;">गणपत न्याय विधि - मु.नं. 92/2022</p>
28.11.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफेन उपस्थित / पीठा. अधिकारी दौर/अन्व कार्य में व्यक्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-11-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>
30.11.2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार शेष अप्रार्थीगण की बड़न्तजार नोटिस तामील पत्रावली दिनांक 22.12.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
12.12.2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद पत्र बाबत बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा आज ही स्वीकार किया जाकर डिक्री होकर निर्णित हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज कर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> <div style="text-align: right;">  </div>